उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73–नेहरू रोड़, देहरादून, दूरभाष : 0135–2657610, फैक्स : 0135–2655488

पत्रांकः–वि0 373 /16–1 (क)/विपणन आदेश दिनांक : 18 अप्रैल, 2018

सेवा में,

1. **समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,**
2. **समस्त प्रभागीय प्रबन्धक,**

उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

विषय :– सार्वजनिक नीलाम /निविदा की शर्तें।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक एन–1283/113 सार्वजनिक नीलाम/दिनांक 21.06.2005 एवं पत्रांक वि–5468/16–1 (क)/विपणन आदेश, दिनांक 08.12.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रकाष्ठ आदि के विक्रय हेतु सार्वजनिक नीलाम शर्तें जारी की गई है एवं संदर्भित पत्र दिनांक 08.12.2017 के द्वारा धनराशि जमा करने हेतु विलम्ब शुल्क सहित 7 दिन के स्थान पर 14 दिन का अतिरिक्त समय विलम्ब शुल्क @ 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन सहित प्रायोगिक तौर वर्ष 2017–18 हेतु अनुमन्य किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अनुमन्यता से सुगमता हुई है।

सम्यक् विचारोपरांत उक्त अनुमन्यता को निरन्तर बनाए रखने हेतु आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार सार्वजनिक नीलाम शर्तो की पैरा सं0–10 में विलम्ब शुल्क @ 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन सहित धनराशि जमा करने हेतु 7 दिन के स्थान पर 14 दिन की अनुमन्यता प्रदान की जाती है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय,

(एस0टी0एस0लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :–वि 373 **/तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि :–निम्न को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक, उ0व0वि0नि0।
2. वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक (मु0)/आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी/समस्त प्रबन्धक, मुख्यालय, उ0व0वि0नि0, देहरादून।
3. प्रभारी–आई0टी0सेल मुख्यालय, उ0व0वि0नि0, देहरादून।
4. प्रतिः– (i) शिविर पत्रावली (ii) गार्ड फाईल।

(एस0टी0एस0लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तराँचल वन विकास निगम

अरण्य विकास भवन', 73–नहेरू रोड़, देहरादून–248001 दूरभाष : 0135–2657610, फैक्स : 0135–2655488

पत्रांक: एन0 1283 /113 /सार्वजनिक नीलाम दिनांक: 21 जून, 2005

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, (नामधे)
उत्तराँचल वन विकास निगम।

विषय:– सार्वजनिक नीलाम की शर्तें।

महोदय,

सार्वजनिक नीलाम में विक्रय किये जाने वाले प्रकाष्ठ के विक्रय की शर्तें संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। इन शर्तों को बिड लिस्ट (प्रपत्र संख्या: 4.1) के पृष्ठ भाग पर मुद्रित कराया जाय तथा सार्वजनिक नीलाम में क्रेताओं को पढ़कर भी सुनाया जाय।

यह नीलाम की शर्तें तात्कालिक रूप से प्रभावी होगीं।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डी0 एस0 तोमर)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1283 /तददिनांकित

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून।
2. मुख्य लेखाधिकारी, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून।
3. समस्त प्रभागीय वन विकास/विपणन प्रबन्धक, उत्तरांचल वन विकास निगम।
4. आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून।
5. लौगिंग अधिकारी, उत्तरांचल वन विकास निगम, मुख्यालय, देहरादून।
6. समस्त शाखा प्रभारी, उत्तरांचल वन विकास निगम।

(डी0 एस0 तोमर)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराँचल वन विकास निगम

सार्वजनिक नीलाम की शर्तें :

(प्रकाष्ठ, जड़, जलौनी आदि)

सामान्य शर्तें :

1. वन उपज का नीलाम लगभग एक ट्रक लोड माल का लौट बनाकर गोल ठेके की पद्धति द्वारा किया जायेगा। नीलाम में भाग लेने हेतु संभावित क्रेता को वन विकास निगम में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा। यदि कोई अपंजीकृत क्रेता नीलाम में भाग लेना चाहें तो उसे रू0 5000/– (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रवेश शुल्क (गेटमनी) के रूप में नीलाम पूर्व जमा करना होगा। यदि नीलाम में उक्त क्रेता के नाम किसी लौट की बोली छूटती है तो इस राशि में से उपयुक्त राशि जमानत के रूप में समायोजित करायी जा सकती है, अन्यथा यह राशि नीलाम समाप्ति पर क्रेता को वापस कर दी जायेगी। गेटमनी जमा करने वाले क्रेता अपने ही नाम से बोली दे सकते हैं। नीलाम में अपंजीकृत क्रेता के नाम बोली स्वीकार किये जाने पर क्रेता द्वारा जमानत न जमा करने पर लौट की बिक्री निरस्त की जा सकती है तथा गेटमनी जब्त की जा सकती है।

2. यद्यपि लौट में सम्मिलित प्रत्येक नग आदि की नपत विक्रय सूची में यथा संभव सही अंकित की जाती है, फिर भी क्रेता से अपेक्षित है कि वह बोली देने से पूर्व लौट का भली–भाँति निरीक्षण कर लेवें। यदि कोई क्रेता विक्रय सूची में दर्ज प्रकाष्ठ (जलौनी को छोड़कर) की नाप में संदेह करता है और दोबारा नाप करवाना चाहता है तो वह (क्रेता) नीलामकर्ता को लिखित आवेदन पत्र देगा और साथ ही लौट के मूल्य का एक प्रतिशत अथवा रू0 300/– (रूपया तीन सौ मात्र) जो भी अधिक हो, जमा करेगा। यदि दोबारा की गयी नाप में पूर्व अंकित नाप से दो प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है तो लौट की बिक्री निरस्त कर दी जायेगी तथा क्रेता द्वारा पुनः नपत हेतु जमा करायी गयी धनराशि उसे वापस की जायेगी। यदि उपरोक्त अन्तर दो प्रतिशत या उससे कम पाया जाता है तो सम्बन्धित लौट की बिक्री वैध मानी जायेगी। पुनः नपत हेतु जमा की गयी धनराशि क्रेताओं को वापस नही की जायेगी।

3. लौट की बिक्री हो जाने के बाद लकड़ी के ग्रेड (गुण श्रेणी) के विषय में क्रेता की कोई शिकायत नही सुनी जायेगी। क्रेता लौट के प्रकाष्ठ की श्रेणी का भली प्रकार निरीक्षण करने के उपरान्त ही बोली दें।

4. लौटों का नीलाम सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर होगा, परन्तु निगम उच्चतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होगा। निगम को अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बतायें अस्वीकार कर दें।

5. रू0 10,000/– तक की बोली पर कुल बिक्री का 20 प्रतिशत जमानत के रूप में जमा करना होगा और उससे अधिक बोली पर न्यूनतम रू0 2,000/– या विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत जो भी अधिक हो, जमा करना होगा। नीलाम के समय सभी स्थितियों पर ध्यान रखते हुए नीलामकर्ता/अधिकारी अपने विवेकानुसार जमानत राशि बढ़ाने के लिए सक्षम होगा। जमानत का धन नकद या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराँचल वन विकास निगम के नाम पर बने किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नीलाम के तुरन्त पश्चात उसी दिन जमा करना होगा। जमानत के रूप में जमा कराये बैंक ड्राफ्ट पर देय बैंक कलेक्शन चार्जेज क्रेता से नही मांगे जायेगें। यह व्यय वन निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

6. लौट की विक्रय की स्वीकृति होने पर क्रेता के नाम अनुमोदन सूचना जारी की जायेगी, जिसे क्रेता के पास पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा। सूचना में दर्शित देय धनराशि पंजीकृत पत्र प्रेषित करने की तिथि से (प्रेषित करने का दिन छोड़कर) 24 दिन के अन्दर (किन्तु माल उठाने से पहले) जमा करना होगा। यदि सूचना क्रेता को हाथ द्वारा दी गयी तो सूचना प्राप्त करने के (प्राप्ति के दिन को छोड़कर) 21 दिन के अन्दर (परन्तु माल उठाने से पहले) देय धनराशि जमा करनी होगी। यह भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तराँचल वन विकास निगम के नाम पर संसूचित शाखा पर देय किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट वन विकास निगम के कार्यालय में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट पर उल्लिखित तिथि के यदि तीन दिन बाद भी बैंक ड्राफ्ट वन विकास निगम के कार्यालय में प्राप्त होता है तो बैंक ड्राफ्ट उसी तिथि को प्राप्त माना जायेगा, जो तिथि बैंक ड्राफ्ट पर उल्लिखित है। विक्रय मूल्य की देय धनराशि का भुगतान नकद या बैंक की पे–इन–स्लिप द्वारा नही लिया जायेगा।

7(अ) (1) विक्रय स्वीकृति होने के उपरान्त क्रेता को विक्रय मूल्य के साथ ही आयकर, व्यापार कर तथा मण्डी शुल्क नियमानुसार प्रकाष्ठ/वनोपज की निकासी के समय या पहले समेकित रूप से प्रभागीय विपणन प्रबन्धक के पद नाम से संसूचित शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। भविष्य में जब भी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य कर या संशोधित कर लागू होगें, वे निकासी की तिथि को क्रेता को मान्य होगें।

(2) क्रेता द्वारा वनोपज की निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क नकद जमा करना होगा।

(ब) पार्टी/क्रेता द्वारा व्यापार कर में छूट सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें उसी स्थान की निकासी दी जायेगी, जिस स्थान का उन्होंने अपना व्यवसाय पंजीकृत करवाया है।

(स) क्रेता को नियम संख्या–7(ब) में उल्लिखित छूट तभी प्रदान की जायेगी जब क्रेता द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय के सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी जहॉ से व्यवसाय पंजीकृत करवाया है, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(द) आयकर की देयता के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जायेगी।

8. अन्य सभी प्रकार के लौटों की नीलाम द्वारा बिक्री के मामलों में अनुमोदन की अधिकतम अवधि नीलाम की तिथि को छोड़कर 40 (चालीस) दिन तक होगी। यदि नीलाम की तिथि को छोड़कर 40 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और क्रेता को बिक्री के अनुमोदन की सूचना पंजीकृत डाक से नही भेजी जाती है तो क्रेता लौट के क्रय करने से इंकार कर सकता है और ऐसी स्थिति में क्रेता के मांगने पर उस लौट की जमानत उसको वापस की जा सकती है

9 (अ) शंकुधारी प्रजातियों के क्रेताओं के अतिरिक्त यदि क्रेता पंजीकृत पत्र द्वारा अनुमोदन सूचना के 10 दिन के अन्दर (प्रेषण का दिन छोड़कर) और यदि हाथ द्वारा प्राप्त किया हो तो 7 दिन के अन्दर (प्राप्त करने के दिन को छोड़कर) कुल भुगतान कर देता है तो उसे लौट के मूल्य का 1 (एक) प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(ब) शंकुधारी प्रजातियों के क्रेता यदि पंजीकृत पत्र द्वारा अनुमोदन सूचना प्रेषित होने के 10 दिन (पर्वतीय क्षेत्र के शंकुधारी प्रजाति के 15 दिन) के अन्दर (प्रेषण का दिन छोड़कर) और यदि बिल हाथ द्वारा प्राप्त किया हो तो मैदानी क्षेत्र में 7 दिन (पर्वतीय क्षेत्र में शंकुधारी प्रजाति के लिए 10 दिन) के अन्दर (प्राप्त करने का दिल छोड़कर) कुल भुगतान कर देता है तो पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र में उसे लौट के मूल्य का 3 (तीन) प्रतिशत नगद छूट दी जायेगी।

(स) कोमल काष्ठ निम्न 22 प्रजातियों में भी 3 (तीन) प्रतिशत की छूट दी जायेगी :

01. पौपलर	02. सेमल	03. गुटेल	04. पूला	05. कंजू	06. झींगन
07. एलंथस	08. हल्दू	09. फल्दू	10. बौरंग	11. गूलर	12. खरपट
13. गौजीना	14. पेपर मलबरी	15. ढाक	16. तुन	17. मलबरी	18. सिरस
19. बहेड़ा	20. बरगद	21. पीपल	22. बाकली		

10. यदि क्रेता अनुमोदन सूचना प्रेषित होने के 24 दिन (प्रेषण का दिन छोड़कर) के अन्दर अथवा हाथ द्वारा अनुमोदन सूचना प्राप्त होने के 21 दिन के अन्दर शेष धनराशि का भुगतान नही करता है तो अगले 7 (सात) दिनों तक प्रत्येक दिन की देरी के लिए देय धनराशि पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। यदि विलम्ब शुल्क की 7 दिनों की अवधि के बाद भी क्रेता देय धनराशि का भुगतान नही करता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जायेगी और लौट का नीलाम स्वतः निरस्त माना जायेगा।

11. क्रेता को प्रकाष्ठ की आंशिक अथवा पूर्ण निकासी लौट के सम्पूर्ण मूल्य, करों, शुल्कों आदि के भुगतान के पश्चात ही दी जायेगी।

12. भुगतान के सम्बन्ध में डिपो अधिकारी तथा डिपो लेखाकार या दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी हुई रसीद ही वैध मानी जायेगी।

13. क्रेता को डिपो से लौट की निकासी अनुमोदन सूचना प्रेषित करने की तिथि (प्रेषण की तिथि को छोड़कर) से 45 दिनों के अन्दर अथवा हाथ द्वारा अनुमोदन सूचना प्राप्त करने की तिथि से 42 दिनों के अन्दर करनी अनिवार्य होगी। यदि क्रेता किसी कारणवश उक्त अवधि में डिपो से माल की पूर्ण निकासी नही कर पाता है तो उक्त वर्णित अवधियों के उपरान्त 15 दिनों तक प्लाट रेंट के साथ निकासी दी जा सकेगी। प्लाट रेंट प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए डिपो में लौट की अवशेष मात्रा के मूल्य का 0.25 प्रतिशत होगा।

14. लौट के अनुमोदन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के पश्चात भी यदि क्रेता द्वारा निकासी नही ली जाती है तो डिपो अधिकारी की संस्तुति पर **विशेष परिस्थितियों** में अगले 7 दिनों के लिए सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक तथा उसके पश्चात अगले 15 दिनों के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक वनोपज की निकासी की अनुमति प्रदान कर सकते है। इन अतिरिक्त दिवसों हेतु प्लाट रेंट का शुल्क लौट के शेष माल के मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रतिदिन होगा। उपरोक्त विस्तारित अवधियों के उपरान्त भी यदि क्रेता द्वारा प्रकाष्ठ की निकासी नही ली जाती है तो :

(अ) क्रेता द्वारा उस लौट के लिए जमा की गयी समस्त धनराशि वन निगम के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी, तथा

(ब) डिपो में रखे हुए लौट के समस्त वन उपज पर उत्तरांचल वन विकास निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसे वन विकास निगम क्रेता को बिना सूचना दिये नीलाम द्वारा या किसी अन्य माध्यम से निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इसके लिए क्रेता किसी प्रकार के मुआवजे आदि का हकदार नही होगा।

15. क्रेता को डिपो से निकासी सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच के समय में ही दी जायेगी।

16. प्रकाष्ठ की निकासी पर भारतीय वन अधिनियम एवं अभिवहन नियमावली, 1978 लागू होगी जिसका अनुपालन क्रेता को करना होगा।

पत्र संख्या ... 1293

दिनांक ...

विशेष शर्तें :

17. **प्रकाष्ठ :**

सभी प्रकार के प्रकाष्ठ के लौट अनुमानित एक ट्रक लोड आयतन के बनाये जायेंगे और सामान्यतया लौट के प्रत्येक नग की नपत उस नग पर अंकित रहेगी। सभी प्रकार के लौट आयतन पर बेचे जायेगें न कि वजन के आधार पर सिवाय कोयला, बक्कल एवं बुरादे आदि की लौटों के।

18. **जलौनी एवं फर्रा :**

जलौनी व आरा मशीनों से निकले हुए फर्रे का नीलाम लगभग एक ट्रक लोड का चट्टा (7 मी0 X 3 मी0 X 1 मी0) बनाकर चट्टा आयतन में किया जायेगा। प्रत्येक चट्टे का एक लौट होगा, जिसकी बोली एक मुश्त ली जायेगी। क्रेता को चाहिए कि चट्टे को भली–भाँति देखकर ही बोली दें क्योंकि चट्टे की नाप में अन्तर के लिए उत्तरांचल वन विकास निगम उत्तरदायी नही होगा। जलौनी लकड़ी के सम्बन्ध में दोबारा नपत कराये जाने का प्राविधान नही है।

19. **कोयला, बक्कल (छाल) एवं बुरादा आदि :**

(अ) इनके लौट अनुमानित वजन के अनुसार बनाये जायेंगे। इनकी बोली प्रति कुन्तल में ही ली जायेगी तथा इनकी जमानत की धनराशि अनुमानित वजन के अनुसार ही जमा करनी होगी। बिके हुए लौट का प्रोफार्मा बिल, लौट में अंकित वजन के आधार पर ही जारी किया जायेगा और इस बिल के भुगतान के लिए सभी सामान्य शर्ते लागू होगीं।

(ब) निकासी के लिए खाली ट्रक का भार क्रेता को निगम द्वारा मान्य धर्मकांटे पर निगम के अधिकृत कर्मचारी के सम्मुख करवाना होगा। यदि समीप में धर्मकांटा न होने से खाली ट्रक का भार न करवाया जा सका तो ट्रक रजिस्ट्रेशन किताब में लिखा हुआ ट्रक का भार माना जायेगा। जिन मामलों में एक ट्रक लोड से कम माल होगा, उसका वजन डिपो में उपलब्ध बीमबैलेन्स से तौला जायेगा।

(स) लौट की निकासी के लिए भी सामान्य शर्ते लागू होंगी। तौल से नीलाम किये जाने के मामलों में भरे हुए ट्रक, निगम द्वारा मान्य धर्मकांट्रे पर निगम के अधिकृत कर्मचारी के सामने तोला जायेगा और तौल के पर्चे पर अधिकृत कर्मचारी व क्रेता दोनों हस्ताक्षर करेगें। इस प्रकार के प्राप्त माल के पर्चे के अनुसार ही अन्तिम भुगतान बिल बनाया जायेगा तथा यदि बिल में दर्शित देय भुगतान प्रोफार्मा बिल से अधिक हुआ तो क्रेता को तुरन्त अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होगा और तभी क्रेता को ट्रक धर्मकांटे से ले जाने की अनुमति दी जायेगी। यदि पहले भुगतान अधिक हो गया तो क्रेता को नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि वापिस (रिफण्ड) की जायेगी।

20. **शून्यकाल :**

उत्तरांचल वन विकास निगम [illegible?: द्वारा] जिन तिथियों अथवा अवधियों में डिपो में वाह्य लेन–देन बन्द रखा जायेगा, उन तिथियों अथवा अवधियों को शून्यकाल मानते हुए निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी :–

([illegible?: अ]) इस अवधि में पड़ने वाली भुगतान व निकासी की समस्त तिथियाँ इतनी ही अवधि से बढ़ जायेगी।

(ब) किसी अन्य कारण से भी डिपो बन्द रहने की दशा में भुगतान व निकासी सम्बन्धी कार्यवाही उपरोक्त बिन्दु ([illegible?: अ]) के अनुसार ही की जायेगी।

21. उत्तराँचल वन विकास निगम के नीलाम में भाग लेने हेतु पंजीकृत किये गये क्रेताओं को निम्न परिस्थितियों में काली सूची में दर्ज करते हुए तथा पंजीकरण निरस्त करते हुए पंजीकरण शुल्क जब्त किया जा सकता है :—

(1) नीलाम में व्यवधान उत्पन्न करने तथा अन्य क्रेताओं को नीलाम में बोली देने से रोकने पर।
(2) डिपो में किसी समय अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही कर उत्तराँचल वन विकास निगम की क्षति पहुँचाने पर।

22. इन शर्तों के क्रियान्वयन सम्बन्धित विवादों में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराँचल वन विकास निगम आर्बीट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित नियमों का भी पालन कड़ाई से किया जायेगा :—

निगम से क्रय की गयी लौट को पुनः बिक्री प्रथम क्रेता द्वारा वन निगम के डिपो में नही की जा सकेगी। वन निगम वास्तविक क्रेता जिसके नाम बिक्री अनुमोदित की गयी होगी को ही निकासी की अनुमति प्रदान करेगा।

क्रेता की एक डिपो में अधिक जमा धनराशि दूसरे डिपो में क्रय की गयी लॉट के विरूद्ध समायोजित करने हेतु प्रभागीय विपणन प्रबन्धक का लिखित आदेश ही मान्य होगा।

एक क्रेता की वन विकास निगम में जमा धनराशि दूसरे क्रेता के नाम किसी भी दशा में हस्तान्तरित नही की जायेगी। यदि क्रेता चाहे तो एक लौट में अधिक जमा धनराशि को अपने दूसरे लौट के विक्रय मूल्य के विरूद्ध डिपो अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र देकर समायोजित करा सकता है।

विषम परिस्थितियों में डिपो अधिकारी को प्राधिकृत होगा कि वह वन विकास निगम के किसी अन्य डिपो (अधिकतम 5 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित) से आंशिक रूप से भरी हुई ट्रक/ट्रैक्टर आदि को लिखित अनुमति के पश्चात ही डिपो में प्रवेश दे सकते हैं। वन विकास निगम डिपो के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से भी आंशिक भरे ट्रक/ट्रैक्टर आदि को डिपो में प्रवेश नही करने दिया जायेगा। क्रेता को उसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों से ही डिपो से वनोपज की आशिंक निकासी दी जायेगी।

उत्तराँचल वन विकास निगम आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त नियमों में संशोधन कर सकता है।

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराँचल वन विकास निगम